

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 फरवरी 2022—माघ 18, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

अधि.क्र. 04 एफ 1-22-2019-अठारह-3 .- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायत के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद सरई का गठन करती है, अर्थात् :-

अनुसूची-एक

सरई नगर परिषद की परिसीमाओं में सम्मिलित किया गया क्षेत्र

स.क्र.	जिले का नाम	तहसील का नाम	नगर परिषद का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सिंगरौली	सरई	सरई	सरई	1. सरई	1968.800
2				अमहाटोला	1. अमहाटोला 2. नौढ़िया	689.830
3				घोघरा	1. घोघरा 2. दहजुड	802.040
4				इटमा	1. इटमा 2. शिवगढ़	979.170
5				समूद	1. समूद 2. हट्टा	1031.100
6				कोनी	1. कोनी 2. भीखाझरिया	925.140
7				दियागडई	1. दियागडई 2. कसईया	1270.720
	कुल -			07	13	7666.800

अनुसूची-दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात, सरई नगर परिषद की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:-

उत्तर दिशा :- ग्राम खाड़ी टोला, झुरहानर, पोखरी टोला की सीमाओं से मर्यादित।

पूर्व दिशा :- ग्राम थरकठेला, कन्हैयादह, धुम्माडोल, गोरा, पोड़ीडोल की सीमाओं से मर्यादित।

दक्षिण दिशा :- ग्राम पोड़ीडोल, कुशमी तहसील सीमाओं से मर्यादित।

पश्चिम दिशा:- ग्राम झुन्डिहवा, घांघीटोला, साजापानी, ककरसिंहा, बेलगांव, चमारीडोल, दुधमनिया की सीमाओं से मर्यादित।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण राठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

क्र. एफ 1-22-2019-अठारह-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 04 एफ 1-22-2019-अठारह-3, दिनांक 7 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण राठी, उपसचिव.

Bhopal, the 7th February 2022

Noti.No. 04 F-1-22-2019-XVIII-3.- In exercise of the powers conferred by section 5(1)(b) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby pleased to include the areas of Village Panchayat mentioned in the below table is notified as Municipal Council Sarai Namely :-

SCHEDULE- I

Area included in the boundaries of Bargawan Municipal Council:

No.	Distt.	Tehsil Name	Name of the Nagar Parishad	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban area	Included villages	Area (in Hec.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Singrauli	Sarai	Sarai	Sarai	1. Sarai	1968.800
2				Amhatola	1. Amhatola 2. Naudhiya	689.830
3				Ghoghra	1. Ghoghra 2. Dahjud	802.040
4				Itma	1. Itma 2. Shivgadh	979.170
5				Samood	1. Samood 2. Hatta	1031.100
6				Koni	1. Koni 2. Bhikhajhariya	925.140
7				Diyagadai	1. Diyagadai 2. Kasaiya	1270.720
Total				07	13	7666.800

SCHEDULE -II

After including the area shown in Schedule-I, The revised Limits of Sarai Municipal Council Will be as follows:-

- North direction** – Limited from the boundaries of Khaditola, Jhurhanar, Pokhari Tola.
- East direction** – Limited from the boundaries of Tharkthela, Kanhaiyadah, Dhummadol, Gora, Podidol.
- South direction** - Limited to the limits of Podidol, Kushami.
- West direction** – Limited to the limits of the boundaries of Jhundihawa, Ghanghitola, Sajapani, Kakarsingha, Belgawn, Chamaridol, Dudhmaniya.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
TARUN RATHI , Dy. Secy.